



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 5766 वर्ष 2026

जयराम मौर्या

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ और 4 अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार पांडे, विट्टन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रत्यर्थी संख्या 5 को नोटिस जारी किया जाना एतद्वारा समाप्त किया जाता है, क्योंकि प्रकरण का निस्तारण प्रवेश के स्तर पर ही किया जा रहा है।

3. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2025 (जहाँ तक इसका संबंध याचिकाकर्ता से है) तथा विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2026, जो क्रमशः इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 एवं 2 के रूप में संलग्न हैं, को रद्द किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थियों को विपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.02.2026, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न हैं, को याचिकाकर्ता के संबंध में प्रभावी न करने का निर्देश दिया जाए।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विपक्षीगण को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को 22.03.2016 के स्थान पर दिनांक 29.09.2008 से चयन वेतनमान प्रदान करें और तदनुसार याचिकाकर्ता के वेतन का पुनः निर्धारण करें तथा अंतर की राशि के बकाए (अंतर राशि) का भुगतान करें।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 29.09.2020 को दिया गया प्रोन्नत वेतनमान वापस ले लिया गया है तथा अतिरिक्त (अधिक) राशि की वसूली का निर्देश भी दिया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1997 में श्री बीरेंद्र सिंह को तदर्थ प्रवक्ता के पद पर दी गई तदर्थ प्रोन्नति के कारण सहायक अध्यापक (गणित) का एक पद रिक्त हुआ था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1997 में प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा सेवा चयन बोर्ड को सहायक अध्यापक (गणित) के पद को भरने हेतु एक अध्यायन भेजा गया था, और तत्पश्चात् वर्ष 1998 में एक विज्ञापन जारी किया गया तथा उसके बाद याचिकाकर्ता का चयन हुआ और उन्हें दिनांक 29.09.1998 को नियुक्त किया गया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित कर दिया गया था और सेवाओं के नियमितीकरण के पश्चात् याचिकाकर्ता ग्रेड पे 4800 में वेतन प्राप्त कर रहे थे तथा उन्हें आदेश दिनांक 22 मार्च 2016 के द्वारा 66,000/- रुपये का चयन वेतनमान प्रदान किया गया था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 29.09.2020 से 15,600-39,100/5400 रुपये का पदोन्नति वेतनमान भी दिया गया था, परंतु अचानक एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट) का संज्ञान लेते हुए, जिला विद्यालय निरीक्षक ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से पदोन्नति वेतनमान वापस ले लिया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि केवल लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर याचिकाकर्ता को दिया गया पदोन्नति वेतनमान वापस ले लिया गया है, जो विधि के अंतर्गत अनुमेय नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई में शामिल (संबद्ध) नहीं किया गया है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और इस प्रकार आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि न केवल पदोन्नति वेतनमान वापस लिया गया है, अपितु आदेश दिनांक 29.09.2020 के बाद याचिकाकर्ता को किए गए कथित अधिक भुगतान की वसूली का भी निर्देश दिया गया है। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 विधि विरुद्ध और अमान्य हैं।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने लेखा परीक्षा आख्या पर समुचित विचार किया है और जब यह पाया गया कि पदोन्नति वेतनमान प्रदान करने में कुछ अनियमितताएँ हुई हैं, तो इसे वापस ले लिया गया है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करने के उपरान्त, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति वेतनमान वर्ष 2020 में प्रदान किया गया था और एक लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा पदोन्नति वेतनमान का आदेश वापस ले लिया गया है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

9. यह न्यायालय पाता है कि पदोन्नति वेतनमान सात वर्ष पूर्व दिया गया था, और यह याचिकाकर्ता के अधिकारों को तात्त्विक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इस न्यायालय ने यह भी पाया है कि केवल लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो कि **दिलीप सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 एससीसी ऑनलाइन अल 455** के प्रकरण में स्थापित विधि के अनुसार अनुमेय नहीं है। निर्णय के प्रस्तर 5 और 6 नीचे उद्धृत किए जाते हैं:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"5. लेखा परीक्षा आख्या को खातों में उल्लिखित लेन-देन की वास्तविकता या सद्भाविकता के तात्विक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा (ऑडिट) खातों का एक आधिकारिक परीक्षण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाते निर्धारित रीति के अनुसार ठीक से बनाए रखे गए हैं। लेखा परीक्षा आख्या खातों के रखरखाव से संबंधित तथ्यों का एक विवरण है, जिसके साथ उन तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की राय जुड़ी होती है। "ए कंसाइज डिक्शनरी ऑफ लॉ" (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) में कहा गया है कि एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख होना चाहिए कि लेखा परीक्षक की राय में, खाते ठीक से तैयार किए गए हैं या नहीं और वे कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं या नहीं। यदि लेखा परीक्षा से पता चलता है कि खाते ठीक से नहीं रखे गए हैं, तो यह एक तर्कसंगत संदेह या विश्वास को जन्म दे सकता है कि उन मामलों के संबंध में जिनसे खाते संबंधित हैं, कोई गड़बड़ी की गई है। परन्तु उस गड़बड़ी को लेखा परीक्षा आख्या में निहित लेखा परीक्षकों की राय से सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

6. इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह संगत और ग्राह्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। 'वर्ड्स एंड फ्रेजस', खंड IV-ए के पृष्ठ 577 पर कहा गया है कि "लेखा परीक्षा" (ऑडिट) का अर्थ खातों, वाउचरों एवं अन्य अभिलेखों की औपचारिक परीक्षा और सत्यापन तथा ऐसी परीक्षा का परिणाम है। एक लेखा परीक्षक का कर्तव्य सत्यापन करना है, न कि पता लगाना (देखें: इन री: किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी (नंबर 2), (1896) 2 सीएच 279)। हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड में एक कंपनी के खातों का ऑडिट करने के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक के कर्तव्य और कार्य का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:-

"एक लेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल बैलेंस शीट की गणितीय शुद्धता को सत्यापित करना है, अपितु उसकी तात्विक शुद्धता को भी देखना है और यह देखना है कि क्या इसमें नियमावली और अधिनियम द्वारा अपेक्षित विवरण शामिल हैं, और कंपनी के मामलों की स्थिति का उचित प्रतिनिधित्व शामिल है। इसलिए यद्यपि यह विचार करना उसका कर्तव्य नहीं है कि व्यवसाय बुद्धिमानों से संचालित किया जाता है या नहीं, वह शेयरधारकों को यह विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है कि क्या बैलेंस शीट कंपनी की सही वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। यह देखने के लिए उसे पुस्तकों की जांच करनी चाहिए और यह देखने के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए कि उनकी सामग्री काफी हद तक सटीक है या नहीं।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. अतः यह स्थापित विधि है कि केवल लेखा परीक्षा आख्या के आधार पर जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा उसकी पुष्टि न की जाए, कोई भी प्रतिकूल कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

11. पूर्वगामी कारणों और तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 एवं 03.02.2026 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

12. संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य हितधारकों, यदि कोई हों, को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात एक नया निर्णय लें।

13. याचिकाकर्ता को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही में सहयोग करने का भी निर्देश दिया जाता है।

14. उपरोक्त टिप्पणी के साथ प्रस्तुत **याचिका स्वीकार** की जाती है।

जून 5, 2026

एम.वी.एस./-

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।